

17.1. ५ वकील वादी उप०। वकील वादी-

ने वाद पत्र को विद्वा में खारिज
किये जाने का निवेदन किया। अतः

वाद पत्र इसी स्तर पर विद्वा में

~~पत्र~~ खारिज किया जाता है पत्रावली

के महा शुमार नं० ले कम है कर

दोखिल दफ्तार है।



५